<u>सं. एडी-91/29/2022-प्रशा.</u>

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

प्रशासन अनुभाग

****

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 16 अगस्त, 2024

2 सितम्बर 2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषय</u> : डाक विभाग, संचार मंत्रालय, डाक भवन में 'कलाकार' के पद के भर्ती नियमों में संशोधन - प्रारूप भर्ती नियमों पर टिप्पणियां प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय के संदर्भ में डाक निदेशालय, डाक भवन, नई दिल्ली में कलाकार के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 के संदर्भ में, सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक विभाग, संचार मंत्रालय, डाक भवन में 'कलाकार' के पद हेतु भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं, तो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(विनायक मिश्रा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : अगस्त, 2024

<u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि. सं. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक – तार निदेशालय (कलाकार) भर्ती नियम, 1982 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व इस संबंध में अपनाए गए अथवा अपनाने के लिए छोड़े गए मुद्दो को छोड़कर, एतदद्वारा डाक विभाग (डाक निदेशालय, नई दिल्ली), संचार मंत्रालय में कलाकार के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **<u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ</u>** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, डाक विभाग (कलाकार), भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **<u>पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर</u>** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **<u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि</u>** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **<u>निरर्हताएं</u>** : वह व्यक्ति,–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह, उक्त व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **<u>शिथिल करने की शक्ति</u> :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **<u>अपवाद</u>** : केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु संबंधी छूट और अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो आरक्षण, आयु संबंधी छूट और रियायतें दी जानी चाहिए, उन पर नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर (7वां केंद्रीय वेतन आयोग)	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कलाकार	02* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 **(35400-112400 रु.)** (7वां केंद्रीय वेतन आयोग)	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 30 वर्ष के बीच **(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)।** टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप, संघ-शासित प्रदेश लद्दाख, संघ-शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट्स)/ललित कला (फाइन आर्ट्स)/अनुप्रयुक्त कला (एप्लाइड आर्ट्स) में डिप्लोमा **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट्स)/ललित कला (फाइन आर्ट्स)/अनुप्रयुक्त कला (एप्लाइड आर्ट्स) में स्नातक डिग्री। टिप्पण 1 : अन्यथा रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती हैं।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले अथवा पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति है तो उसकी संरचना (अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति हेतु)	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध) / आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	(i) वेतन मेट्रिक्स (7वां केंद्रीय वेतन आयोग) के स्तर-5 में 6 वर्ष की सेवा वेतन मेट्रिक्स (7वां केंद्रीय वेतन आयोग) के स्तर-4 में 10 वर्ष की सेवा और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) निदेशक (फिलैटली) - अध्यक्ष;	लागू नहीं।

	(ii) स्तंभ 7 में दी गई अपेक्षित अर्हता प्राप्त	(ii) निदेशक (प्रशासन) - सदस्य; (iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित सहायक महानिदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य।	

[फा. सं. एडी-91/29/2022-प्रशा.-डीओपी]

(विनायक मिश्रा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)
डाक विभाग,
संचार मंत्रालय, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

<u>अनुबंध - III</u>

अनुमोदित भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित करते समय मंत्रालय/विभाग द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र

2.

1. क) पद का नाम :	कलाकार
ख) मंत्रालय/विभाग का नाम :	डाक विभाग, संचार मंत्रालय

मद	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (लघु आवधिक अनुबंध) / आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा	वर्ष 1982 में जारी मौजूदा भर्ती नियम अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। इन्हें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा भर्ती नियमों के तहत डाक विभाग में 'कलाकार' का स्वीकृत पद 1 दर्शाया गया है। तथापि, फिलैटली डिवीजन के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए 2 कलाकार कार्य कर रहे थे।
अर्हता	(i) मैट्रिक परीक्षा (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट्स) में डिप्लोमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट्स)/ललित कला (फाइन आर्ट्स)/अनुप्रयुक्त कला (एप्लाइड आर्ट्स) में डिप्लोमा **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक कला (कमर्शियल आर्ट्स)/ललित कला (फाइन आर्ट्स)/अनुप्रयुक्त कला (एप्लाइड आर्ट्स) में स्नातक डिग्री।	
आयु-सीमा	18-30 वर्ष	18-30 वर्ष	
पदों की संख्या	1	2	

3. मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जिनके साथ, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु विचार-विमर्श किया जा सकता है।

विनायक मिश्रा
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)
टेलीफोन नं. 23096027

सहायक महानिदेश (प्रशासन)